अनुदान संख्या 33 – वित्तीय संस्थाओं को अदायगियां
GRANT No. 33–PAYMENTS TO FINANCIAL INSTITUTIONS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving–
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	4169,43,00				
				10737,21,00	9049,21,51	–1687,99,49
पूरक	Supplementary	6567,78,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					1628,00,89
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीक त-	Voted–					
मूल	Original	232,80,00				
				275,26,00	196,51,58	–78,74,42
पूरक	Supplementary	42,46,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					78,73,89

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (168799.49 लाख रु.) अगस्त, 2006, दिसंबर, 2006 और मार्च, 2007 में प्राप्त किए गए 656778.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 26 प्रतिशत और कुल स्वीक त प्रावधान का 16 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of grant , the overall savings (Rs.168799.49 lakhs) constituted 26 percent of the supplementary grants of Rs.656778.00 lakhs obtained in August, 2006, December, 2006 and March, 2007 and 16 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2235"	Major Head "2235"				
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Social Security and Welfare				
मू.	O.	27200.00			
पू.	S.	135915.00	161046.00	161046.00	. .
पु.	R.	–2069.00			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "2416" क षि वित्तीय संस्थाएं	Major Head "2416" Agricultural Financial Institutions					
मू.	O.		160041.00			
पू.	S.		110002.00	266634.20	262908.20	–3726.00
पु.	R.		–3408.80			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals					
मू.	O.		216412.00			
पू.	S.		1.00	55282.06	53013.88	–2268.18
पु.	R.		–161130.94			
मुख्य शीर्ष "3466" अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	Major Head "3466" International Financial Institutions					
मू.	O.		76.00			
पू.	S.		1.00	186.53	181.11	–5.42
पु.	R.		109.53			
मुख्य शीर्ष "3475" अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	Major Head "3475" Other General Economic Services					
मू.	O.		713.00			
पू.	S.		410859.00	415271.32	415272.32	+1.00
पु.	R.		3699.32			

(I) 150001.00 लाख रु. का प्रावधान दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 150000.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "2885" - "औद्योगिक वित्तीय संस्थान - अन्य व्यय - प्रतिबलित परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि संबंधी प्रतिभूतियों का मोचन" के अंतर्गत बजट प्रभाग के अनुमोदन से वैकल्पिक मोचन स्कीम को कंपनी द्वारा विकल्प के रूप में लिए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.150001.00 lakhs remained wholly unutilised under two heads; of these Rs.150000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2885" - "Industrial Financial Institutions – Other Expenditure - Redemption of Securities to Stress Assets Stabilisation Fund" - due to adoption by the company for an alternative redemption scheme with the approval of Budget Division.

(II) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजना के संबंध में भारतीय जीवन बीमा निगम को अदायगी'' के अंतर्गत 4267.00 लाख रु. की बचत (26900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय जीवन बीमा निगम से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Other Expenditure - Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens" – saving of Rs.4267.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.26900.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Life Insurance Corporation of India.

(III) मुख्य शीर्ष ''2416'' - ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अनुदान'' के अंतर्गत 7501.00 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 155442.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहकारी ऋण संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने वाले राज्यों की संख्या के प्रत्याशा से कम रहने की वजह से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2416" – "Other Expenditure - Grants to National Bank for Agricultural and Rural Development (NABARD)" – saving of Rs.7501.00 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.155442.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to receipt of less claims from NABARD as the number of States, who signed MoUs for strengthening of Cooperative Credit Structure fell short than expected.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2885'' - ''औद्योगिक वित्तीय संस्थान - अन्य व्यय '' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2885" – "Industrial Financial Institutions-Other Expenditure" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम बैंक को अनुदान''- 1504.83 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष के दौरान समय पर राशि जारी न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Grants to Industrial Credit and Investment Corporation of India Bank"– saving of Rs.1504.83 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-release of the amount in time during the year.

(खा) ''भारतीय औद्योगिक वित्त निगम को अनुदान''- 469.00 लाख रु. की बचत (22500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्ष 2006-07 के दौरान उपलब्ध पिछले वर्ष के शेष का उपयोग किए जाने की वजह से भारतीय औद्योगिक वित्त निगम से कम मांग होने के कारण हुई।

(B) "Grants to Industrial Finance Corporation of India" - saving of Rs.469.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.22500.00 lakhs) was due to less demand from Industrial Finance Corporation of India as balance for the previous year was utilised during 2006–2007.

(गा) ''कर्जों पर ब्याज की दरों में रियायत के बदले में आर्थिक सहायता''- 9925.29 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 9933.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक को बंद किए जाने के कारण हुई।

(C) "Subsidy in lieu of Concession in the rate of interest on Loans" - saving of Rs.9925.29 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.9933.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to winding up of Industrial Investment Bank of India.

(घा) ''भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक को अनुदान'' - 1500.00 लाख रु. की बचत (2000.00 लाख रु. के

(D) "Grants to Small Industrial Development Bank of India" - saving of Rs.1500.00 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6354.20 लाख रु.) प्रयुक्त हो गई जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 656778.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2235'' - ''अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम - अन्य व्यय - समुदाय आधारित विश्व स्वास्थ्य बीमा स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्रा की साधारण बीमा कंपनियों को अदायगी'' - 2198.00 लाख रु.।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2416'' - ''अंतर्राष्ट्रीय सहयोग - अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि को अंशदान'' - 366.20 लाख रु.।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3466'' - ''अफगानिस्तान पुनर्निर्माण न्यास निधि - अंशदान की अदायगी'' - 94.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 88.58 लाख रु. था।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3475'' - ''अन्य व्यय - विदेशी मुद्रा अनिवासी जमाओं पर ब्याज दावे में कमी आने पर इंडियन ओवरसीज बैंक को विनिमय हानि के प्रति अदायगी'' - 3696.00 लाख रु.।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (7874.42 लाख रु.) अगस्त, 2006 और दिसंबर, 2006 में प्राप्त किए गए 4246.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 29 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

(against the sanctioned provision of Rs.2000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from Small Industrial Development Bank of India..

2. The above savings were partly (Rs.6354.20 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.656778.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2235" – "Other Social Security and Welfare Programmes – Other Expenditure - Payment to Public Sector General Insurance Companies for Community Based Universal Health Insurance Scheme" - Rs.2198.00 lakhs.

(B) Major Head "2416" - "International Cooperation - Contribution to International Fund for Agricultural Development" - Rs.366.20 lakhs.

(C) Major Head "3466" – "Afghanistan Reconstruction Trust Fund – Payment of Contribution" – Rs.94.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.88.58 lakhs.

(D) Major Head "3475" - "Other Expenditure – Payment to Indian Overseas Bank towards exchange loss on shortfall of its Interest Claim on FCNR (A) Deposits" - Rs.3696.00 lakhs.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.7874.42 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.4246.00 lakhs obtained in August, 2006 and December, 2006 and constituted 29 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''5465'' सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	Major Head "5465" Investment in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	8000.00			
पू.	S.	1.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–8001.00			
मुख्य शीर्ष ''5466'' अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Major Head "5466" Investment in International Financial Institutions				
मू.	O.	1280.00			
पू.	S.	4245.00	5652.11	5651.58	–0.53
पु.	R.	127.11			

(I) 8001.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) दो शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 8000.00 लाख रु. अकेले ''सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्रा के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय जीवन बीमा निगम में सामान्य आरक्षित के लिए निवेश'' के अंतर्गत स्कीम को जारी न रखे जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.8001.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised under two heads of these Rs.8000.00 lakhs alone accounted for under "Investment in General Financial Institutions – Investment in Public Sector and Other Undertakings - Investment for General Reserve in L.I.C." - due to discontinuation of the scheme.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (136.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''5466'' - ''अफ्रीका विकास निधि को अभिदान - अफ्रीका विकास निधि के बहुपक्षीय ऋण राहत पहल को अदायगी''के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 135.65 लाख रु. था।

4. The above savings were partly (Rs.136.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "5466" - "Subscription to African Development Fund - Payment to Multilateral Debt Relief Initiative of African Development Fund". Actual excess, however, was Rs.135.65 lakhs.